

फर्द अहकाम  
राजेन्द्र व अन्य बनाम अशोक कुमार वर्ग

अपील संख्या 15/2024

दिनांक जजरा या कार्यवाही दिनांक	आदेश विवरण एवं च	दिनांक विवरण
06.05.2024	<p>अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश बाना ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 5861 दिनांक 14.02.2024 द्वारा तहसीलदार फुलेरा मु. सांभर के विरुद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो एवं नोटिस रेरपोडेन्ट्स को जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.5.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>अतिरिक्त कलक्टर</b> (तृतीय) जयपुर</p>	<p>नो-प्री 208-227 8/5/24</p>
27-5-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा अपीलान्त करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.6.24 को पेश हो।</p>	
14/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय करीकेन उपस्थित। क्षेत्राधीन अधिकारी अन्य राजस्व में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/24 पेश हो।</p>	
21.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री राजेश बाना द्वारा अपीलान्त करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-7-24 को पेश हो।</p>	
19/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय करीकेन उपस्थित। क्षेत्राधीन अधिकारी अन्य राजस्व में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.8.24 पेश हो।</p>	<p style="text-align: center;"><b>अतिरिक्त कलक्टर</b> (तृतीय) जयपुर</p>
16-8-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त पक्ष उपस्थित। क्षेत्राधीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-9-24 का पेश हो।</p>	
3-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री राजेश बाना द्वारा अपीलान्त करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-9-24 को पेश हो।</p>	<p>21/9/24 Mangal Bhatia 2000/24 मिस्टर - -</p>

**अतिरिक्त कलक्टर**  
(तृतीय) जयपुर

से अपनी सदस्यता से परकारान का राजीनामा दे  
गया है। रेसो. प्रा. इ. का भी इस वा को सु कोपति  
नदी की है ऐसे में प्रकरण अभी ल अपील कि  
करना चाहते हैं परकारी के इस प्रिति में को  
चलाया जाना अपिल नही समझे कि प्रार्थना  
पत्र स्वीकार लिखा जाकर प्रकरण समाप्त कि  
जाता है। पत्रा वही वाप निर्णय नम्बर से कम  
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

RW  
अतिरिक्त कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर